हिमाचल तेरहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 52

शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019/1 भाद्रपद,1941 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 1289 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 1342 से 1349 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 1350 से 1391 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 374 व 438 (स्थगित) तथा 374 से 396 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रश्नकाल के पश्चात **श्री सुरेश भारद्वाज, संसदीय कार्य मंत्री** ने कहा कि पिछले कल गैर-सरकारी संकल्प पर चर्चा के दैरान श्री हर्षवर्धन चौहान ने महिलाओं एवं अनुसूचित जाति वर्ग के बारे में अनजाने में कोई विपरीत टिप्पणी कर दी थी जिस पर माननीय सदस्य श्रीमती कमलेश कुमारी ने विरोध जताया है। उन्होंने श्री हर्षवर्धन चौहान से अनुरोध किया कि वे अपने शब्दों को वापिस ले लें या माननीय अध्यक्ष द्वारा उन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाए।

श्रीमती कमलेश कुमारी ने चाहा कि श्री हर्षवर्धन चौहान अपने शब्दों को वापिस लें व सदन में खेद प्रकट करें।

श्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो वह अपने शब्दों को वापिस लेते हैं। उन्होंने चाहा कि उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से भी निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा ऐसी कतई नहीं थी, और उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना ठीक नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष ने श्री हर्षवर्धन चौहान से कहा कि अगर उनकी ओर से ऐसे शब्द कार्यवाही में हैं तो वे खेद भी व्यक्त कर लें। माननीय अध्यक्ष के कहने पर श्री हर्षवर्धन चौहान ने अनजाने में कहे अपने शब्दों पर खेद प्रकट किया।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा विषय

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली में श्री रविदास के मंदिर को गिराए जाने से जनता में उत्पन्न आक्रोश का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हिमाचल के लोग भी शामिल हैं। यह पुरातन मंदिर था जिसको गिराने से जनता में आक्रोश है। उन्होंने चाहा कि मुख्य मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस मन्दिर हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाने का मामला केन्द्र सरकार से उठाएं।

मुख्य मंत्री ने कहा कि इस मंदिर के गिराने से लोगों की आस्था आहत हुई हैं, यह सच्चाई है। समाज में किसी भी समुदाय की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस आंदोलन में हिमाचल के लोग शामिल हैं इसलिए सरकार इस मामले को दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार के साथ उठाएगी।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, योजना अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी0-(बी)2-3/2014 (रूल्ज़) पीओ दिनांक 29.05.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.06.2019 को प्रकाशित हुए हैं, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग, उप औषधि नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-सी-ए(2)-6/2018-लूज़ दिनांक 02.07.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.07.2019 को प्रकाशित हुए हैं, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) प्रथम संशोधन नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः श्रम (ए)4-5/2017 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.11.2018 को प्रकाशित हुए हैं, की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20)** ने समिति का 16वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 82वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(2) **श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2019-20)** ने समिति का 13वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि सदन की अनुमति हो तो नियम-61 के विषय पहले लिए जाएंगे क्योंकि इनके उत्तर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिए जाने हैं जिन्होंने उत्तर के पश्चात् किसी आवश्यक कार्य हेतु सदन से बाहर जाना है।

4. नियम-61 के अन्तर्गत चर्चा

(1) **श्री नरेन्द्र ठाकुर** ने दिनांक 20 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1185 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री नरेन्द्र ठाकुर ने स्पष्टीकरण मांगा।

मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

(2) **श्री राम लाल ठाकुर** ने दिनांक 20 अगस्त, 2019 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 311 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री राम लाल ठाकुर ने स्पष्टीकरण मांगा।

मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

(3) **श्री राजेन्द्र राणा** ने दिनांक 19 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1117 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री राजेन्द्र राणा ने शहरी विकास मंत्री द्वारा अपने उत्तर में कही गई किसी बात को लेकर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा लेकिन तब तक माननीय उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही को भोजनावकाश के लिए स्थगित कर चुके थे।

(12.57 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त सदन की बैठक 02.00 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री राजेन्द्र राणा ने नियम-306 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उन्होंने नियम-61 के अन्तर्गत केवल अपने क्षेत्र से संबंधित विषय पर चर्चा की थी लेकिन शहरी विकास मंत्री ने अपने उत्तर में चर्चा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। उन्होंने चाहा कि शहरी विकास मंत्री द्वारा उनके विरुद्ध कहे गए शब्द कार्यवाही से निकाले जाएं व मंत्री द्वारा इन शब्दों के लिए क्षमा मांगी जाए।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि किसी भी गलत उद्घाटन के लिए केवल अधिकारी ही दोषी नहीं होते अपितु उद्घाटन करने वाले राजनेता भी उतने ही जिम्मेवार होते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शहरी विकास मंत्री सदस्य को धमकाना चाहती है जिसका कांग्रेस विधायक दल विरोध करता है।

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे व नारेबाजी भी करने लगे।)

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी-

"मेरी माननीय मंत्रियों एवं माननीय विधायकों से गुज़ारिश है कि सरकार द्वारा या चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनका कार्यान्वयन अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इस बात को लेकर कोई conflict पैदा नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी मंत्री या विधायक ने कोई शिलान्यास किया तो उस कार्य का कार्यान्वयन अधिकारियों ने ही करना होता है। संदर्भातर्गत कार्यवाही भी विभाग द्वारा ही की जानी थी, इस बात का ख्याल रखा जाए। जो शब्द श्री राजेन्द्र राणा के बारे में कार्यवाही में आए है, वह मुझे दिखाए जाएं और यदि गलत हों तो उनको कार्यवाही से निकाला जाए।"

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री मुकेश अग्निहोत्री तथा श्री आशीष बुटेल** ने नियम-62 के अन्तर्गत **" हाल ही में प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की सूची में की जा रही कटौती"** से उत्पन्न स्थिति की ओर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा की।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्री किशोरी लाल, सदस्य** ने नियम-62 के अन्तर्गत " **प्रदेश में केन्द्र सरकार की इलैक्ट्रिक वाहन नीति की तर्ज पर ई-वाहन नीति बनाने**" की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा की।

वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि आज सप्ताह का अंतिम कार्य दिवस होने तथा अगले दो दिन अवकाश होने के दृष्टिगत सभी माननीय सदस्यों ने अपने घर जाना है, इसलिए नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव को आगामी कार्य दिवस के लिए स्थगित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इस सत्र में नियम-130 के अंतर्गत सर्वाधिक प्रस्ताव चर्चा हेतु प्राप्त हुए हैं और उनकी इच्छा है कि ज्यादा-से-ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जा सके। उन्होंने कहा कि सदन की इच्छा सर्वोपरि है, इसलिए वह दिन की कार्यवाही को स्थगित करते हैं।

03.23 बजे अपराह्न सदन की बैठक सोमवार, 26 अगस्त, 2019 के 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई ।